

अध्याय 1: विहंगावलोकन

1.1 राज्य का परिदृश्य

राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ देश में सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है और उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। इसकी पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। राज्य में अर्ध-शुष्क से लेकर शुष्क तक विविध जलवायु परिस्थितियां हैं। प्रशासनिक रूप से, यह 7 संभागों और 33 जिलों में विभाजित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 14.71 प्रतिशत थी जो कि अखिल भारतीय औसत 21.92 प्रतिशत से कम थी। इसके अतिरिक्त, साक्षरता दर 66.10 थी जो कि अखिल भारतीय औसत 73 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) से 6.90 प्रतिशतता बिंदु नीचे थी। राज्य के प्रमुख संकेतक **परिशिष्ट 1.1** एवं **परिशिष्ट 1.2** में दिए गए हैं।

1.1.1 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक तय समयवधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसडीपी में क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है और 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान जीएसडीपी के साथ जीएसवीए (सकल राज्य मूल्य वर्धन) की वृद्धि दर और जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि को क्रमशः **चार्ट 1.1** और **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
	भारत					
1.	जीडीपी* (2011-12 श्रृंखला)	1,88,99,668	2,01,03,593 [§]	1,98,29,927 [§]	2,34,71,012 [£]	2,72,40,712 [®]
2.	जीवीए* (वर्तमान मूल्यों पर)	1,71,75,128	1,83,81,117 [§]	1,81,88,780 [£]	2,14,38,883 [£]	2,47,42,871 [®]
3.	गत वर्ष की तुलना में जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.59	6.37	(-) 1.36	18.36	16.06

क्र. सं.	वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
4.	गत वर्ष की तुलना में जीवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.77	7.02	(-) 1.05	17.87	15.41
5.	प्रति व्यक्ति जीडीपी* (₹ में)	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
	राजस्थान					
6.	जीएसडीपी* (2011-12 श्रृंखला)	9,11,519	9,98,679	10,19,442 ^Σ	12,18,193 [£]	14,13,620 [#]
7.	जीएसवीए* (वर्तमान मूल्यों पर)	8,59,091	9,44,197	9,56,492	11,34,115	13,10,750
8.	गत वर्ष की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.49	9.56	2.08	19.50	16.04
9.	गत वर्ष की तुलना में जीएसवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.06	9.91	1.30	18.57	15.57
10.	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी* (₹ में)	1,18,619	1,28,277	1,29,271	1,52,675	1,75,252

* केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार

Σ संशोधित अनुमान-II, £ संशोधित अनुमान-I, # अग्रिम अनुमान

s संशोधित अनुमान-III, @ अनन्तित अनुमान

वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में 16.04 प्रतिशत बढ़ी और यह ₹ 14,13,620 करोड़ रुपये थी। जीएसडीपी की 16.04 प्रतिशत की वृद्धि दर जीडीपी की वृद्धि दर (16.06 प्रतिशत) से मामूली कम थी। इसके अलावा, 2022-23 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹ 1,75,252 प्रति व्यक्ति जीडीपी ₹ 1,96,983 (2022-23) से कम थी। हालाँकि, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में वृद्धि (47.74 प्रतिशत) समान अवधि के दौरान देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि (38.31 प्रतिशत) से अधिक थी।


तालिका 1.1 से यह भी देखा जा सकता है कि 2022-23 में वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए ₹ 13,10,750 करोड़ था और 2022-23 में वर्तमान मूल्यों पर जीवीए ₹ 2,47,42,871 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के दौरान, जीएसवीए में 15.57 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई जोकि जीवीए की वृद्धि दर (15.41 प्रतिशत) से मामूली अधिक थी।

सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जाता है क्योंकि इसे जीडीपी की तुलना में आर्थिक विकास का एक बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और अर्थ-सहाय्य के प्रभाव को नजर अंदाज करता है। जबकि जीडीपी की गणना अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की जा सकती है, जिसमें निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल निश्चित पूंजी निर्माण या अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित करने वाला निवेश व्यय शामिल है। दोनों उपायों में शुद्ध करों के उपचार में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन

स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए जीवीए और जीएसवीए डेटा की तुलना करना महत्वपूर्ण है।


वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए जीएसडीपी और जीएसवीए की प्रवृत्ति को नीचे चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी के साथ जीएसवीए की वृद्धि दर (2018-19 से 2022-23)



स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मन्त्रालय, भारत सरकार।

चार्ट 1.2: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि (वर्ष 2018-19 से 2022-23)



स्रोत: आर्थिक समीक्षा 2022-23, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार।

चार्ट 1.2 से पता चलता है कि 2022-23 के दौरान कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का राज्य के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने हेतु

प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान के उक्त अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों और ऐसे विभागों जो लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार है, के द्वारा भेजे गए वाउचर्स, चालानों और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करते हैं। ये लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षित एवं सीएजी द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए प्रमुख आंकड़े जुटाते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं के समक्ष अनुमानों के आंकलन के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन और सम्बंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना;
- वर्ष के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान द्वारा राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों के अन्य आंकड़े (आईएफएमएस- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ लेखांकन);
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जीएसडीपी आंकड़ें एवं राज्य से सम्बंधित अन्य सांख्यिकीय आंकड़ें; और
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण चौहदवें वित्त आयोग (XIV-एफसी), पन्द्रहवें वित्त आयोग (XV-एफसी) की सिफारिशों, छठा राज्य वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफआरबीएम), भारत सरकार के श्रेष्ठ प्रचलित मानकों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी किया गया है।

1.3 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

1. राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तारित मार्गोपाय अग्रिमों और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राशि शामिल है। इस निधि से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसरण में और उद्देश्यों के लिए एवं निर्धारित रीति के सिवाय किसी भी राशि को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण की पुनर्भुगतानी आदि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (प्रभारित व्यय) होती है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य समस्त व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया जाता है और अप्रत्याशित व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा प्रमाणीकरण लंबित रहने तक पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है। व्यय को संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त अन्य लोक राशि, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती है। लोक लेखे में पुनर्अदायगी जैसे लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमायें (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), प्रेषण और उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों शीर्ष अस्थायी और अंतिम समायोजन लंबित हैं) सम्मिलित हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी सम्मिलित है। लोक लेखा विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होता है।

बजट दस्तावेज

राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, बजट को राजस्व स्वाते पर होने वाले व्यय को अन्य व्ययों से अलग करना चाहिये।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व एवं केंद्रीय करों/शुल्कों में राज्यांश), कर-भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे समस्त व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए व्यय, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर किये गए ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) से सम्बंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित हैं:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, मार्गोपाय अग्रिम के तहत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम आदि; और
- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूलियां आदि।

पूंजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण के अधिग्रहण पर व्यय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को दिए गये ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

वर्तमान में सरकार की एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महा लेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा मुख्य लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	कार्यात्मक शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्यकलाप, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में अन्तर्निहित संख्यातर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय के लिए, आदि। आर्थिक वर्गीकरण कुछ कार्यात्मक शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और उनके वर्गीकरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" राजस्व व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है, "निर्माण" पूंजीगत व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है। कार्यात्मक शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखों की संरचना



लोक ऋण और लोक दायित्व: इस रिपोर्ट में 'लोक ऋण' में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण आदि को सम्मिलित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004 - लोक ऋण को लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, लोक लेखा के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि' 'आरक्षित निधि' और 'जमा और अग्रिम' ऐसे हैं जिनसे सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए उत्तरदायी होती है या भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत 'प्रेषण' और 'उचंत' से संबंधित लेन-देन में कोषालयों और मुद्रा चेस्टों के बीच नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखा वृत्तों के बीच हस्तांतरण लेनदेन जैसे समायोजन मात्र को शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट में 'मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अंतर्गत लेनदेनों के साथ लोक दायित्व' में 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा और अग्रिम' से संबंधित मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के अंतर्गत लेनदेनों को सम्मिलित किया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखती है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, विवरण अनुदान/विनियोग की मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 204 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है ताकि समेकित निधि से आवश्यक राशि का विनियोजन किया जा सके।

राज्य बजट नियमावली बजट निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। बजट और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में वर्णित किया गया है।

1.3.1 वित्तीय स्थिति का सारांश

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों और जीएसडीपी की तुलना के साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.2: वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों के साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2021-22 वास्तविक	2022-23 बजट अनुमान	2022-23 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	कर राजस्व	1,28,839	1,47,505	1,44,577	98.01	10.23
(i)	स्व-कर राजस्व	74,808	98,294	87,346	88.86	6.18

क्र. सं.	घटक	2021-22 वास्तविक	2022-23 बजट अनुमान	2022-23 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
(ii)	संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा (अ)	54,031	49,211	57,231	116.30	4.05
2	कर-भिन्न राजस्व	18,755	22,154	20,565	92.83	1.45
3	सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	36,326	45,318	29,846	65.86	2.11
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,83,920	2,14,977	1,94,988	90.70	13.79
5	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	2,374	264	420	159.09	0.03
6	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	31	15	16	106.67	0.00
7	उधार और अन्य देयताएं (ब)	48,238	58,212	51,028	87.66	3.61
8	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	50,643	58,491	51,464	87.99	3.64
9	कुल प्राप्तियां (4+8)	2,34,563	2,73,468	2,46,452	90.12	17.43
10	राजस्व व्यय जिसमें	2,09,790	2,38,466	2,26,479	94.97	16.02
11	ब्याज भुगतान	28,100	28,838	30,602	106.12	2.16
12	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान	579	-	267	-	0.02
13	पूंजीगत व्यय जिसमें	24,773	35,002	19,973	57.06	1.41
14	पूंजीगत परिव्यय	24,152	34,809	19,798	56.88	1.40
15	ऋण और अग्रिम	621	193	175	90.67	0.01
16	कुल व्यय (10+13)	2,34,563	2,73,468	2,46,452	90.12	17.43
17	राजस्व घाटा (4-10)	25,870	23,489	31,491	134.07	2.23
18	राजकोषीय घाटा {16-(4+5+6)}	48,238	58,212	51,028	87.66	3.61
19	प्राथमिक घाटा (18-11)	20,138	29,374	20,426	69.54	1.44

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

(अ) केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से सहित।

(ब) उधार और अन्य देयताएं: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखों का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक और अंतिम नकद शेष का निवल।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 6.02 प्रतिशत बढ़ीं, यद्यपि यह बजट अनुमान से 9.30 प्रतिशत कम रही। चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,94,988 करोड़) से अधिक राजस्व व्यय (₹ 2,26,479 करोड़) था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा ₹ 31,491 करोड़ हो गया।

1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सारांश

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और व्यय से सृजित की गई परिसंपत्तियों को संकलित करते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा एवं आरक्षित निधियां से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

तथा नकद शेष सम्मिलित हैं। तालिका 1.3 और परिशिष्ट 1.3 में गत वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2023 तक ऐसी परिसम्पत्तियों और देयताओं का सार दिया गया है।

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

		देयतायें			परिसम्पत्तियाँ				
		2021-22	2022-23	प्रतिशत वृद्धि/कमी			2021-22	2022-23	प्रतिशत वृद्धि/कमी(-)
समेकित निधि									
अ	आन्तरिक ऋण	3,21,807.34	3,50,961.67	9.06	अ	सकल पूंजीगत परिव्यय	2,42,183.05	2,61,965.13	8.17
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	31,748.73	37,422.20	17.87	ब	ऋण एवं अग्रिम	8,213.06	7,968.22	(-) 2.98
आकस्मिकता निधि									
आकस्मिकता निधि		1,000.00	1,000.00	-			-	-	-
लोक लेखा									
अ	अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	58,786.37	64,122.93	9.08	अ	अग्रिम	3.17	3.14	(-) 0.95
ब	जमायें	44,174.53	45,622.77	3.28	ब	प्रेषण	-	-	-
स	आरक्षित निधियां	12,587.26	15,058.62	19.63	स	उचत एवं विविध	85.73	137.72	60.64
द	प्रेषण	1.51	0.54	(-)64.24		नकद शेष (चिह्नित निधियों में निवेश सहित)	14,669.09	7,671.53	(-) 47.70
	पूर्णांकन के आधार पर समायोजन प्रविष्टि	(-) 0.01	-	-		योग	2,65,154.10	2,77,745.74	4.75
						प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य	2,04,951.63	2,36,442.99	15.37
योग		4,70,105.73	5,14,188.73	9.38	योग		4,70,105.73	5,14,188.73	9.38

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियां 4.75 प्रतिशत बढ़ी जबकि देयताएँ 9.38 प्रतिशत बढ़ी।

1.4 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता और मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचे में

राजकोषीय नीति का संचालन और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों के द्वारा राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया था।

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा में निम्न दृष्टिगत हुये:

(i) राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम की धारा 6 (क) में किये गये प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाये रखना था अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार केवल वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ही राजस्व अधिशेष को बनाए रख सकी और उसके बाद वर्ष 2022-23 तक लगातार दस वर्षों के दौरान राजस्व घाटा रहा है।

गत छः वर्षों के दौरान राजस्व घाटे के सन्दर्भ में बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक आँकड़ों को तालिका 1.4 में सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 1.4: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के संदर्भ में राजस्व घाटे/अधिशेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	बजट अनुमान	(-) 13,528	(-) 17,455	(-) 27,015	(-) 12,346	(-) 23,750	(-) 23,489
2.	संशोधित अनुमान	(-) 20,166	(-) 24,825	(-) 28,041	(-) 41,722	(-) 35,689	(-) 32,310
3.	वास्तविक	(-) 18,535	(-) 28,900	(-) 36,371	(-) 44,001	(-) 25,870	(-) 31,491

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

टिप्पणी: वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान घाटा/आधिक्य को उदर्य के प्रभाव सहित दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका से यह दृष्टिगत होता है कि राजस्व घाटा ₹ 31,491 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमानों (₹ 23,489 करोड़) से अधिक था, हालांकि, संशोधित अनुमानों (₹ 32,310 करोड़) में किये गए आंकलन से कम था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्व घाटा बजट अनुमान से (₹8,002 करोड़) अधिक था क्योंकि वास्तविक राजस्व प्राप्त बजट अनुमान ₹ 2,14,977 करोड़ के समक्ष घटकर ₹ 1,94,988 करोड़ रह गई (इसमें जीएसटी के कार्यान्वयन से राजस्व के नुकसान के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाले मुआवजे के रूप में प्राप्त ₹ 4,260 करोड़ शामिल हैं) अर्थात् 9.29 प्रतिशत (₹19,989 करोड़) की गिरावट रही जबकि वास्तविक राजस्व व्यय बजट अनुमान ₹ 2,38,466 करोड़ के समक्ष अपेक्षाकृत कम गिरावट जैसे 5.03 प्रतिशत गिरावट (₹11,987 करोड़) के साथ ₹ 2,26,479 करोड़ रहा।

(ii) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (ख) (2011 में यथा संशोधित) में, वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत प्राप्त करने तथा उसके आगे इसी अनुपात को बनाये रखने या

1. उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन के स्थायी समाधान के उद्देश्य से विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए प्रारम्भ किया गया वित्तीय कार्याकल्प एवं पुनरुद्धार पैकेज है।

इससे कम करने की परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त, एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम² 2021 के अनुसार, राज्य वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी के लिए पात्र है, जिसे बिजली क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। हालाँकि, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य अपरिवर्तित रखा गया।

निम्नलिखित तालिका गत तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे-जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति को दर्शाती है:

तालिका 1.5: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान एवं वास्तविक के संदर्भ में राजकोषीय घाटे की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1.	2020-21	2.99	6.12	5.82
2.	2021-22	3.98	5.18	3.96
3.	2022-23	4.36	4.33	3.61

स्रोत: बजट दस्तावेजों से बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2022-23 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित 3 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। राजकोषीय घाटा ₹ 51,028 करोड़ (जीएसडीपी का 3.61 प्रतिशत) रहा जो कि बजट अनुमान (₹ 58,212 करोड़) और संशोधित अनुमान (₹ 61,264 करोड़) में किये गये अनुमान से कम था।

(iii) राज्य सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (ग) के प्रावधानों में संशोधन किया (मार्च 2021) और 1 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ छः वर्षों की अवधि के भीतर कुल बकाया ऋण (देयता) की सीमा जीएसडीपी के 38.20 प्रतिशत तक करने और तत्पश्चात इस अनुपात को बनाये रखना या कम करना निर्धारित किया। वर्ष 2022-23 के दौरान देयता-जीएसडीपी अनुपात 34.92 प्रतिशत³ था जो एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था।

राज्य के एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटा लक्ष्य जीएसडीपी का 3 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के लिए, केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य की निवल उधार सीमा जीएसडीपी की 3.5 प्रतिशत तय की (वित्त मंत्रालय का पत्र दिनांक 31 मार्च 2022)।

केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर राज्य को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की भी अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, राज्य को सामान्य उधार सीमा से अधिक जीएसडीपी के 0.4 प्रतिशत तक ब्याज मुक्त पूंजी ऋण की अनुमति दी गई थी।

2. 25 सितंबर 2021 को यथासंशोधित।

3. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए: जीएसडीपी ₹ 14,13,620 करोड़ और लोक ऋण और अन्य देनदारियाँ ₹ 4,93,702 करोड़ (जीएसडीपी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान के मुआवजे के बदले में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ को छोड़कर)।

इस प्रकार, 2022-23 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई राजकोषीय गुंजाइश या उधार सीमा जीएसडीपी का 4.4 प्रतिशत थी। हालाँकि, बिजली क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी प्रदान करने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया था, लेकिन राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के आंकड़े को संशोधित करने के लिए अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है।

जबकि 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 3.61 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) में लक्ष्य आंकड़े से अधिक था, यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई समग्र वित्तीय सीमा के भीतर था। (जीएसडीपी का 4.4 प्रतिशत)।

तालिका 1.6: एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि				
			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	राजस्व अधिशेष	(-)28,900	(-)36,371	(-)44,001	(-)25,870	(-)31,491
			×	×	×	×	×
2.	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	तीन प्रतिशत	(-)34,473 (3.78)	(-)37,654 (3.77)	(-)59,376 (5.82)	(-)48,238 (3.96)	(-)51,028 (3.61)
			×	×	×	×	×
3.	कुल बकाया देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	35.00	34.00	38.20	38.20	38.20
		उपलब्धि	34.16	35.32	39.82 ⁴	37.02 ⁵	34.92 ⁵
			✓	×	×	✓	✓

कुल बकाया प्रभावी ऋण से जीएसडीपी अनुपात (34.92 प्रतिशत) कुल बकाया देयताओं में से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹11,872 करोड़ के जीएसडी मुआवजे को छोड़कर निकाला गया है जैसाकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और 2022-23 के दौरान जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख वित्तीय समग्रों के संबंध में राज्य के बजट में उपलब्धियों की तुलना में अनुमानित लक्ष्य तालिका 1.7 में दिए गए हैं।

4. कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 में जीएसडी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹ 4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।
5. कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान जीएसडी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹ 11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

तालिका 1.7: वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य राजकोषीय समग्रों के सम्बन्ध में लक्ष्यों के साथ-साथ उपलब्धियां

राजकोषीय चर	पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक का प्रतिशत भिन्नता	
				पन्द्रहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	बजट में लक्ष्य
राजस्व घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत)	0.8	(-) 1.66	(-) 2.23	(-) 3.03	(-) 0.57
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत)	(-) 4.0 [#]	(-) 4.36	(-) 3.61	0.39	0.75
कुल बकाया देयतायें /जीएसडीपी (प्रतिशत)	40.2	39.8	34.92 ^s	(-) 5.28	(-) 4.88

स्रोत: पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त लेखे और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार।

टिप्पणी: घाटे के आंकड़े ऋणात्मक दिखाए गए हैं।

s वर्ष 2020-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर।
इसमें बिजली क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए अनुमत किया गया जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त उधार शामिल है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार राजस्व घाटा-जीएसडीपी अनुपात को पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित और बजट अनुमानों में अनुमानित स्तरों के भीतर रखने में असमर्थ रही। हालाँकि, राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी और कुल बकाया देयता-जीएसडीपी अनुपात पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित और बजट अनुमानों में अनुमानित स्तरों के भीतर रहा।

राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत मध्यमकालिक राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना चालू वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के साथ नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1.8: वर्ष 2022-23 के लिए एमटीएफपी में किये गये अनुमानों के साथ-साथ वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय मापदंड	एमटीएफपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2022-23)	अंतर (प्रतिशत में)
1.	स्व-कर राजस्व	98,294	87,346	(-) 11.14
2.	कर-भिन्न राजस्व	22,154	20,565	(-) 7.18
3.	केन्द्रीय करों का हिस्सा	49,211	57,231	16.30
4.	भारत सरकार से सहायताार्थ अनुदान	45,318	29,846	(-) 34.14
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	2,14,977	1,94,988	(-) 9.30
6.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	279	436	56.27
7.	राजस्व व्यय	2,38,466	2,26,479	(-) 5.03
8.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)	(-) 23,489	(-) 31,491	34.06
9.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 58,212	(-) 51,028	(-) 12.14
10.	प्राथमिक घाटा	(-) 29,373	(-) 20,426	(-) 30.46
11.	ऋण (देयता) जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत में)	39.80	34.92 ^s	(-) 4.88
12.	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.56	16.04	4.48


स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

जैसा कि तालिका 1.8 से देखा जा सकता है, वास्तविक राजस्व घाटा एमटीएफपी के अनुमान से अधिक था। हालाँकि, वास्तविक राजकोषीय घाटा और ऋण-जीएसडीपी अनुपात एमटीएफपी में अनुमानों से कम था।


चार्ट 1.4 और 1.5 वर्ष 2018-23 की अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)




चार्ट 1.5: जीएसडीपी के सन्दर्भ में घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति



चार्ट 1.6: राजकोषीय देयताओं और जीएसडीपी की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)



* कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण ₹ 4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 और 2021-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण ₹ 11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, आंतरिक ऋण में 9.06 प्रतिशत (₹29,155 करोड़), लोक लेखा दायित्वों में 7.23 प्रतिशत (₹7,901 करोड़) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 17.87 प्रतिशत (₹ 5,673 करोड़) की वृद्धि के कारण राजकोषीय देयताओं में गत वर्ष की तुलना में 9.47 प्रतिशत (₹42,729 करोड़) की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2023 को मौजूद ₹ 4,93,702 करोड़⁶ की राजकोषीय देयताओं में गैर वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बॉण्ड एवं जब्ती बॉण्ड जो राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण का गठन करते थे, को जारी किये जाने के कारण उदय के तहत ₹ 24,013 करोड़ की बकाया उधारी सम्मिलित थी।

1.4.1 भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप उधार के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) में अन्य के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि भारत सरकार द्वारा राज्य को दिए गए उधार का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है तो वह राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकता है।

6. वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार की सामान्य निवल उधार सीमा ₹ 42,856 करोड़⁷ तय की (मार्च 2022) और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी स्रोतों से उसकी वृद्धिजन्य उधारें इस सीमा के भीतर बनी रहे।

केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 31 मार्च 2022 के माध्यम से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की निवल उधार सीमा (एनबीसी) जीएसडीपी का 3.5% तय की। केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर राज्य को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की भी अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, राज्य को पूंजी निवेश/व्यय 2022-23 के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 50 वर्षों के लिए ₹5,595.64 करोड़ (जीएसडीपी का 0.3958 प्रतिशत) ब्याज मुक्त पूंजी ऋण की अनुमति दी गई थी, जो राज्य को दी गई सामान्य उधार सीमा से अधिक थी। इस प्रकार, 2022-23 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई राजकोषीय गुंजाइश या उधार सीमा जीएसडीपी का 4.4 प्रतिशत थी।

वित्त लेखे 2022-23 के उधार और अन्य देयताओं के विवरण (विवरण संख्या 6) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार की वृद्धिजन्य उधार और अन्य देयतायें ₹ 42,729 करोड़ रही, जो कि उधार सीमा के भीतर थी।

1.5 लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल ऋण

लेखापरीक्षा जांच में लेखों में गलत वर्गीकरण और बजट से इतर राजकोषीय संब्यवहार देखे गये जिसने कुल घाटे और ऋण के आंकड़ों को प्रभावित किया है। लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद ऋण के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

1.5.1 लेखापरीक्षा के पश्चात-घाटा

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय संकेतकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों जैसे कि ऋण और प्रत्याभूति पर घाटा सीमा आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य के लिए गणना किये गये राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा विभिन्न परिस्थितियों के कारण प्रभावित होते हैं जैसे कि राजस्व व्यय को पूंजी के रूप में गलत वर्गीकृत करना और स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करना घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा, उपकर का कम/अधिक हस्तांतरण आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूंजीगत परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है और ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की आवश्यकता है जैसा कि **तालिका 1.9** में बताया गया है।

7. वर्ष 2022-23 के अनुमानित जीएसडीपी (₹12,24,465 करोड़) का 3.5 प्रतिशत, भारत सरकार द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार अनुमानित जीएसडीपी के आधार पर गणना की गई।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक आँका गया	कम आँका गया	अधिक आँका गया	कम आँका गया
आरक्षित/जमा निधि में अन्य हस्तांतरण					
1.	ब्याज-वाली आरक्षित निधियों एवं जमाओं पर ब्याज को जमा नहीं करना (पैरा 4.1)		11.25		11.25
2.	राजस्व और पूंजीगत व्यय के मध्य गलत वर्गीकरण (पैरा 3.4.7)	-	493.60	-	-
3.	राज्य आपदा मोचन निधि में स्थानांतरण न होना (पैरा 2.5.2.1)	-	155.60	-	155.60
4.	केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि का हस्तांतरण न होना		106.62		106.62
	योग		कम आँका गया 767.07		कम आँका गया 273.47
आरक्षित/जमा निधि में उपकर/ अधिभार का हस्तांतरण					
5.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम हस्तांतरण (पैरा 2.5.2.3)	-	123.45	-	123.45
6.	अन्य उपकर और अधिभार ⁸ का अधिक हस्तांतरण (पैरा 2.5.2.3)	1,226.11	-	1,226.11	-
	योग (उपकर/ अधिभार)		(निवल) अधिक आँका गया 1,102.66		(निवल) अधिक आँका गया 1,102.66
	महायोग		(निवल) अधिक आँका गया 335.59		(निवल) अधिक आँका गया 829.19

स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए वित्त लेखे एवं विश्लेषण

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य सरकार का राजस्व घाटा ₹ 31,491 करोड़ (सन्दर्भ अनुच्छेद 1.4 (i)) ₹ 335.59 करोड़ से अधिक और राजकोषीय घाटा ₹ 51,028 करोड़ (सन्दर्भ अनुच्छेद 1.4 (ii)) ₹ 829.19 करोड़ अधिक आँका गया था।

1.5.2 लेखापरीक्षा के पश्चात – समग्र देयता

एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल देयताओं का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में निर्दिष्ट राज्य के समेकित निधि और लोक लेखे के अंतर्गत देयताएं हैं। बकाया ऋण/देयताओं को नीचे तालिका 1.10 में दिए अनुसार विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है:

तालिका 1.10: लेखापरीक्षा जांच के बाद 31 मार्च 2023 तक समग्र देयताओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	आन्तरिक ऋण	3,50,961.67
(i)	ब्याज वाले बाजार ऋण	3,02,202.82

8. (क) अतिरिक्त हस्तांतरण: (i) पेट्रोल और डीजल पर उपकर: ₹ 1,561.97 करोड़; (ii) बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्टॉप शुल्क पर अधिभार: ₹ 361.57 करोड़; (ख) कम अंतरण द्वारा समायोजित: (i) गाय और उसकी संतति के संरक्षण और प्रसार के लिए अधिभार: ₹ 243.73 करोड़; (ii) प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से राहत के लिए अधिभार: ₹ 393.27 करोड़; (iii) जल संरक्षण उपकर: ₹ 60.43 करोड़।

क्र. सं.	विवरण	राशि
(ii)	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.03
(iii)	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	7.68
(iv)	केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	9,069.28
(v)	अन्य संस्थाओं से ऋण	39,681.86
2.	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	37,422.20
(i)	1984-85 से पूर्व के कर्ज	5.41
(ii)	योजनेतर ऋण	9.96
(iii)	राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	1,227.06
(iv)	केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	3.05
(v)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	36,176.72
3.	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	64,122.93
4.	आरक्षित निधि	7,444.20
5.	जमा	45,622.77
क.	समग्र देयतायें (1 से 5)	5,05,573.77
ख.	समग्र देयताओं पर प्रभाव (कम आँका गया) के कारण:	
(i)	राज्य सरकार की ओर से 'विभिन्न जिला परिषदों' द्वारा बजट से इतर उधार, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से चुकाया जाना है।	1,276.58
(ii)	राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम (आरडब्ल्यूएसएससी) द्वारा उधार।	2.81
	कुल 'ख'	1,279.39
	कुल (क + ख)	5,06,853.16

इस प्रकार, राज्य सरकार ने ₹ 1,279.39 करोड़ का बजट से इतर उधार का सहारा लिया।

राज्य के बजट से इतर उधार को सम्मिलित करते हुए मार्च 2023 के अंत में कुल बकाया देयतायें ₹ 4,93,701.49 करोड़ के समक्ष ₹ 4,94,980.88 करोड़⁹ हो जायेगी। परिणामस्वरूप, वर्ष के अंत में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में समग्र देयताओं (34.92 प्रतिशत¹⁰) को 0.09 प्रतिशत से कम बताया गया।

9. ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹11,872.29 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर।

10. कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹11,872.29 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर।